सत्यमेव जयते

पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग–1

सोमवार, तिथि $\dfrac{\text{11 चैत्र, 1935 (श0)}}{\text{01 अप्रील, 2013 (ई0)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या–01

(1) गृह (आरक्षी) विभाग	..	..	01
		कुल योग ..	01

राशि का भुगतान

47. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज रेलवे स्टेशन के निकट नक्सली वारदात के कारण दिनांक 9 सितम्बर, 2002 को ट्रेन संख्या 2301 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना ग्रस्त हुई थी। जिसमें विजय कुमार प्रदीप, भुतत्ववेता, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड समेत सैकड़ों यात्रियों की मृत्यु हुई थी। तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों को एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा किया गया था, परन्तु राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है।

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दुर्घटना कांड का मामला रफीगंज (औरंगाबाद) थाना कांड संख्या 140/2002 तथा 141/2002 एवं सोननगर रेल थाना कांड संख्या 04/2006 दर्ज किया गया है, जिसमें न्यायालय में आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है।

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घटना के मृतक विजय कुमार प्रदीप, भुतत्ववेता, खान एवं भुतत्व विभाग, झारखंड के परिजनों को मुआवजा की राशि भुगतान करने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 01 अप्रील, 2013 (ई०)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 292–डी०टी०पी०–450